न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 53/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस डवलपमेंट हाउस, 24 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता 700 016/8 सन नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली 110065 तथा कॉरपोरेट ऑफिस प्रैस्टीज टावर, ई–1ए तीसरी मंजिल आम्रपाली सर्किल के पास वैशाली नगर, जयपुर। प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

ऋणी

1. मदनलाल सुण्डा पुत्र अर्जुनलाल सुण्डा
निवासी– 795, के जयपुर रोड़, महिन्द्रा ट्रैक्टर के पास, पार्ड नम्बर 18, सीकर।
अन्य पताः– प्लॉट नम्बर 44, खसरा नम्बर 126 का भाग, वार्ड नम्बर 40 पुराना, भगतसिंह कॉलोनी, औद्योगिक क्षैत्र के सामने, जयपुर रोड़, सीकर।

सहऋणी

2. प्रभाती पत्नी बक्ताराम,
निवासी– 795, के जयपुर रोड़, महिन्द्रा ट्रैक्टर के पास, पार्ड नम्बर 18, सीकर।

3. जीतू ग्रैनाइट एच–132, रीको औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर रोड़, सीकर। सहऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांकः 21 अक्टूबर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **प्रेम प्रकाश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मदनलाल सुण्डा, प्रभाती, जीतू ग्रैनाइट** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **ऑल देट पीस एण्ड पार्सल ऑफ प्लॉट नम्बर 44, खसरा नम्बर 126 का हिस्सा, वार्ड नम्बर 40 पुराना, भगतसिंह कॉलोनी, औद्योगिक क्षैत्र के सामने, जयपुर रोड़, सीकर जिसका क्षैत्रफल 245.20 वर्गगज है तथा जिसके उत्तर में आराजी दीगर, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में प्लॉट नम्बर 43 व 46, पश्चिम में प्लॉट नम्बर 45 स्थित हैं, उक्त सम्पत्ति ऋणी के क्षैत्राधिकार में है,** को बंधक रखकर **6,00,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **छः लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **11.06.2019** को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी ने स्वयं उपस्थित होकर अपने जवाब आवेदन में अंकित किया कि प्रार्थी ने अपना सम्पूर्ण होम लोन मैग्मा फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड में समय पर जमा करवाकर अपना ऋण खाता फॉर क्लॉज करवा लिया है लेकिन इसके बावजूद मैग्मा फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड ने मेरे होम लोन खाते में फॉर क्लॉज करने की कार्यवाही नहीं की है, जिसके लिए मैग्मा फाइनेंस कम्पनी लि0 जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा चैक की प्रति पेश की गई जिसके अनुसार लोन चुका दिया गया है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **11.06.2019** को रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है। वित्तीय संस्थान को भारत के राजपत्र दिनांक 18.12.2015 में सरफेसी अधिनियिम के उपखण्ड के प्रयोजन हेतु वित्तीय संस्थान निर्दिष्ट किया गया है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **मदनलाल सुण्डा, प्रभाती, जीतू ग्रैनाइट** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **ऑल देट पीस एण्ड पार्सल ऑफ प्लॉट नम्बर 44, खसरा नम्बर 126 का हिस्सा, वार्ड नम्बर 40 पुराना, भगतसिंह कॉलोनी, औद्योगिक क्षेत्र के सामने, जयपुर रोड़, सीकर जिसका क्षेत्रफल 245.20 वर्गगज है तथा जिसके उत्तर में आराजी दीगर, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में प्लॉट नम्बर 43 व 46, पश्चिम में प्लॉट नम्बर 45 स्थित हैं, उक्त सम्पत्ति ऋणी के क्षेत्राधिकार में है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर, प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 21 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner